

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS  
राजस्व मूल वाद संख्या:- 111/2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती सरोज पत्नी कैलाश जाति विश्णोई निवासी ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.राजेन्द्र मंगल पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी प्लाट नंबर 14 कान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर। 02.वाद में अकित प्रतिवादी संख्या 02 से 10 तक 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादीनी की ओर से अधिवक्ता हरिसिंह कच्छवाह उपस्थित  
02.प्रतिवादीगण की ओर से सूचना के बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक:- 01/12/2024

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 को किया गया एवं तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 31.12.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम नन्दवान पटवार हल्का नन्दवान के खसरा नम्बर 574 4.5163 हैक्टर भूमि में नाम सयुक्त खातेदारी में दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 31.12.2024 मय मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान	किस्म
A	01.गुट्टी देवी पत्नी पप्पाराम जाति जाट सा 264 मोटडा/भांबुओ का बास नंदवान खातेदार पप्पाराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा 264 मोटडा/भांबुओ का बास नंदवान खातेदार भंवरलाल पुत्र जोगाराम जाति जाट सा देह खातेदार	574	1.2797	2.54	बारानी प्रथम
B	01.सरोज पत्नी कैलाश जाति विश्णोई सा सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।	574	0.9032	1.78	बारानी प्रथम
C	खूमाराम पुत्र भंवराराम जाति घांसी सा देह खातेदार शंकर लाल पुत्र मानाराम जाति घांसी सा देह खातेदार देवाराम पुत्र भवराराम जाति घांसी सा देह खातेदार सन्तुदेवी पुत्री भंवराराम जाति घांसी सा देह खातेदार रुकडी पत्नि भवराराम	574	1.4302	2.84	बारानी प्रथम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी


	जाति घांसी सा देह खातेदार				
D	राजेन्द्र मंगल पुत्र अशोक कुमार मंगल जाति अग्रवाल सा निवासी प्लॉट नंबर 14 कान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर खातेदार सजय अग्रवाल पुत्र कैलाश चन्द गुप्ता जाति अग्रवाल सा 2/5/70 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड बासनी जोधपुर खातेदार	574	0.9032	1.78	बारानी प्रथम

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।



  
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
 लूणी (RAS)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

**डिकरी बमुकदमें इब्तादाई**  
**(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)**  
**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी**  
**पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.**  
**राजस्व वाद संख्या : 111/2024**

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती सरोज पत्नी कैलाश जाति विश्णोई निवासी ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.राजेन्द्र मंगल पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी प्लाट नंबर 14 कान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर। 02.वाद मे अकित प्रतिवादी संख्या 02 से 10 तक 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 111/2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दारामद करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 01/11/25 को जारी की गई।

**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड नजिरस्ट्रेट लूणी**

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजाचन	रुपया	पै.	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	-	-

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी**  
**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड नजिरस्ट्रेट लूणी**